अभिभावक कृपया ध्यान दें

छात्रावास सुविधा विद्यालय की निम्न छात्राओं के लिए उपलब्ध है।

1. आर0 जी0 इण्टर कालिज की छात्राएँ
2. बी0 ए0, बी0 एस0 सी0, बी0 कॉम, बी0 एड, की छात्राएँ
3. एम0 ए0, एम कॉम0, एम0 एस0 सी, की छात्राएँ
4. शोध छात्राएँ
5. ट्यूटर – कोचिंग, लेकिन छात्रावास के नियमों के अनुसार रहना होगा।

इस विवरणिका में छात्रावास सम्बन्धी सूचनायें दी गई हैं अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि छात्राओं के फार्म भरने से पूर्व निर्देशों व सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लें।

निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखें–

अभिभावक अपने वार्ड की प्रत्येक विषय की उपस्थिति की जानकारी अपने वार्ड से प्रतिमाह लेते रहें। उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उपस्थिति का उत्तरदायित्व अभिभावक का भी होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि कक्षा आरम्भ होने से एक दिन पूर्व छात्राओं को छात्रावास में भेज दें।

अभिभावक स्वयं आकर छात्रा को वार्डन से छुट्टी का पत्र दिलवा कर बाहर ले जा सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यदि वह नहीं आ सकते तो–

(क) छात्रा को घर ले जाने के लिए व्यक्ति का नाम मनोनीत करें व अभिभावक के पत्र के बगैर छुट्टी नहीं मिलेगी।

अथवा

(ख) छात्रा को घर अकेले जाने की अनुमति दें। छुट्टी के बाद समय पर वापिस न आने पर अभिभावक का पत्र अवश्य लायें। पत्र पर अभिभावक के वही हस्ताक्षर हो जो Record Book पर हैं।

अभिभावकों से अनुरोध है कि छात्रावास के नियमों का पालन करने में हमारी सहायता करें।

छात्राएँ कृपया ध्यान दें

1. अपने कक्ष की सफाई का दायित्व छात्रा के ऊपर है।
2. छात्रावास में भी छात्राओं को सादगी से रहना चाहिए। कोई कीमती सोने के आभूषण छात्रावास में नहीं लाना चाहिए और न ही ज्यादा रू0 अपने पास रखें। क्योंकि सुरक्षा का भार किसी भी अवस्था में छात्रावास का नहीं होगा।
3. **नगर या विद्यालय की किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण बिजली अथवा पानी के न होने पर छात्रायें परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करें।**
4. किसी विशेष दिन भोजन की अव्यवस्था होने पर छात्राएँ परिस्थिति से समायोजन स्थापित करें।
5. छात्रावास की छात्राओं का विद्यालय गेट पर खड़े होकर कर्मचारी व गार्डो से बात करना वर्जित तथा दण्डनीय है।
6. कॉलिज की छुट्टी होने पर ही छात्रायें घर जायेगी। आकस्मिक परिस्थिति में ही अभिभावक के साथ जा सकेगी।
7. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से यह अपेक्षित है कि छात्रावास के नियमों तथा अधिनियमों का पालन करें अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही, जो छात्रावास अथवा विद्यालय से निकाले जाने की आज्ञा तक हो सकती है, की जा सकती है। छात्राओं के पास कोई भी कॉलिज की छात्राएं कक्ष में मिलने नहीं आयेगी।
8. रैगिंग करना कानूनी अपराध है अतः रैगिंग करने वाली छात्राओं को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।
9. छात्रावास में छात्रा के पास, हीटर प्रैस व गर्म पानी की रोड, आदि कोई भी बिजली का उपकरण, नहीं होना चाहिए।
10. **छात्रावास में छात्राएं रात को 12.00 बजे जन्मदिन नहीं मनाएगी।**

Scanned with OKEN Scanner

11. छात्रावास में छात्राओं को शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा।

12. छात्राऐं छात्रावास के किसी भी कर्मचारी से अभद्र व्यवहार नहीं करेगीं अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

13. कोई भी छात्रा किसी छात्रा को शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित नहीं करेगी। एक बार चेतावनी देने के उपरान्त भी अगर कोई छात्रा ऐसा करती है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी तथा छात्रा को निष्कासित कर दिया जायेगा।

छात्राओं से मिलने का समय इस प्रकार है – अभिभावक इसका विषेष ध्यान रखें।

महिला अभिभावक केवल सायं 12 बजे से 3 तक विशेष परिस्थिति में मिल सकती हैं। **सायं 5 बजे के पश्चात् किसी को मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।** पुरूष अभिभावक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व दोपहर 3 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। **पुरूष अभिभावक का सायं 5 बजे के बाद कॉलिज प्रांगण में प्रवेश निषेध है।** अभिभावक को गेट पर नियुक्त सुरक्षा कर्मी पर्ची देगें व अधीक्षिका की अनुमति मिलने पर ही अन्दर आ पाएंगे। रविवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पुरूष अभिभावक को मिलने की अनुमति नहीं है।

स्थानीय अभिभावक को फोटो व हस्ताक्षर होने पर ही मिलने दिया जा सकता है। (रविवार के दिन)

रघुनाथ गर्ल्स कॉलिज पोस्ट ग्रेजुएट, छात्रावास

रघुनाथ गर्ल्स कॉलिज, छात्रावास की बिल्डिंग का निर्माण 1961 में हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेन्द्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उस समय छात्रावास में बहुत सीमित संख्या में छात्रायें रहती थीं। भवन भी एक मंजिला था। आज तिमंजिला भवन है, जिसमें लगभग 200 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। शिक्षिकाओं तथा छात्राओं की एक समिति छात्रावास के दैनिक कार्यो की देखभाल करती है।

छात्रावास के मुख्य आकर्षण व सुविधायें

यह छात्रावास आधुनिकतम सुविधाओं से परिपूर्ण है, जिसमें कुछ सुविधायें निम्न हैं।

1. छात्रावास में विद्या की देवी, माँ सरस्वती का एंक मंदिर तथा शिव परिवार प्रतिष्ठित है, जहाँ छात्रायें पूजा–अर्चना कर सकती हैं।
2. **छात्राओं को सर्दी की ऋतु में गर्म पानी के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था है जिसमें छात्रायें गर्म पानी प्राप्त कर सकती हैं। शहर में लाइट जाने व जनरेटर में तकनीकी खराबी होने के कारण लाइट न मिलने पर छात्राऐं समायोजन (एडजस्ट) करें।**
3. गर्मी की ऋतु में छात्राओं को पीने के लिए ठडें पानी के लिए वाटरकूलर की व्यवस्था है।
4. छात्रावास में छात्राओं को पानी पीने के लिए R.O. व एक्वागार्ड की सुविधा है।
5. छात्राओं को कपड़े धोने के लिए एक फुली आटोमैटिक वांशिग मशीन व दो सेमी वाशिंग मशीन की सुविधा है।
6. छात्रावास में छात्राओं के लिए सैनेट्री नैपकिन वैन्डिंग मशीन व सैनट्री नैपकिन डिस्पोजल मशीन की सुविधा उपलब्ध है।
7. छात्रावास में भूतल पर छात्राओं के सामूहिक अध्ययन के लिए एक अध्ययन एवं कम्प्यूटर कक्ष है ।
8. बिजली न आने की दशा में जनरेटर की सुविधा (सायं 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक उपलब्ध होगी)।
9. ओवर हैड टैंक लगे होने के कारण 24 घंटे पानी की सुविधा है।
10. रसोई घर में गैस पर सारा भोजन बनाया जाता है जिसमें रसोईघर में भी विशेष स्वच्छता रहती है।
11. छात्राओं को पौष्टिक व सन्तुलित भोजन दिया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

12. छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था है।
13. छात्रावास मैं छात्राओं के लिए चाय बनाने व दूध गर्म करने के लिए तीनों मंजिलों पर गैस की सुविधा है। इन सुविधाओं के लिये समय निर्धारित है। सुबह 6 से 10 बजे, शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
14. छात्रावास में अभिभावक के लिए गेस्टरूम की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त अन्य विशेषता इस प्रकार हैं

1. छात्राओं की मांग के अनुसार हिंन्दी व अंग्रेजी के दैनिक पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है।
2. छात्रावास में इण्डौर गेम की व्यवस्था है एवं जिम की सुविधा शुल्क सहित है।
3. छात्रावास की अपनी छात्रावास परिषद् है जिसके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक त्यौहार को धूम–धाम से मनाया जाता है व छात्राओं को त्यौहारों के अनुरूप भोजन दिया जाता है।
4. छात्रावास परिषद् की अलग–अलग समितियाँ है जो छात्रावास के अलग–अलग कार्यो को देखती है।
5. कॉलिज में छात्रावास की छात्राओं की प्राथमिक चिकित्सा के लिए डिसपैन्सरी उपलब्ध है। समय प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक।
6. छात्रावास के एक कमरे में दो छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रा को एक मेज, एक कुर्सी व एक अलमारी दी जाती है। प्रत्येक कमरे में पंखे लगे हुए हैं।
7. छात्रावास में सिंगल सीटेड कमरे की भी व्यवस्था है। इसके लिए **12,000/–** रू0 की धनराशि अलग से ली जाती है।
8. पूर्ण फीस जमा किये बिना छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा।
9. प्रवेश के समय छात्रा सामान लाकर अधीक्षिका को सूचित किये बिना सामान न रखें व कमरे में ताला न डालें।

प्रवेश

1. छात्रावास में प्रवेश का कार्य विद्यालय में प्रवेश होने के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है।
2. प्रवेश के समय छात्रा अपने साथ सभी मूल प्रमाण–पत्र व फोटो स्टेट कॉपी, अपनी फोटो, आधार कार्ड की कापी और कॉलिज में प्रवेश की रसीद की फोटो कॉपी व फिटनेस सर्टिफिकेट अवश्य लेकर आयें।
3. कॉलिज में प्रवेश होने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश मिल सकता है।
4. कॉलिज प्रवेश के उपरांत तुरन्त प्रवेश रसीद लेकर छात्राएँ छात्रावास अधीक्षिका से प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य छात्रावास कार्यालय में संपर्क करें। प्रवेश के समय छात्राओं के उन पुरूष अभिभावकों की पासपोर्ट साईज की फोटो लाए जिन्हें छात्रावास में आकर छात्राओं से मिलने की अनुमति है।
5. प्रवेश–पत्र छात्रावास विवरणिका के साथ विद्यालय के कार्यालय से मिलते हैं जिनको पूरी तरह भरकर जमा करना होगा।
6. प्रवेश–पत्र के साथ छात्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र व यदि वह किसी छात्रावास में रह चुकी हो तो वहाँ की संरक्षिका का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
   (क) स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना चाहिए और स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि उसे कोई छूत की अथवा संक्रामक बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र में ब्लड़ ग्रुप व हिमोग्लोबिन भी अंकित करायें।
   (ख) यदि बाद में छात्रावास की चिकित्सा जाँच के अन्तर्गत यह पता चले कि छात्रा किसी गंभीर या छूत रोग से पीड़ित है अथवा बीमारी के कारण अध्ययन का भार सहन नहीं कर सकेगी तो उसे छात्रावास छोड़ना पड़ेगा। बार–बार बीमार पड़ने पर छात्रावास से प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
7. प्रवेश पत्र के साथ गत परीक्षा का अंक पत्र लगाना अनिवार्य हैं।
8. छात्रावास में स्थान सीमित हैं, अतः जैसे ही स्थान पूरे हो जाते हैं, वैसे ही प्रवेश बंद कर दिया जाता है। प्रवेश, विद्यालय द्वारा डॉक्टरी जाँच और व्यक्तिगत साक्षात्कार तक अस्थाई रहता है।

Scanned with OKEN Scanner

9. निम्नलिखित को प्रवेश का अधिकार नहीं है–

(क) अनुत्तीर्ण छात्राओं को

(ख) विवाहितों को

(ग) जिसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जा चुकी हैं।

(घ) जो पूर्णत्या स्वस्थ नहीं है अथवा किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है।

10. छात्रावास की पूर्व निवासी छात्रा का B.A. Final, B.Sc. Final तथा B.Com Final पास करके M.A., M.Sc., M.Com में प्रवेश नये प्रवेश की भाँति ही किया जाएगा तथा विवरण पत्रिका में उल्लेखनीय सभी नियम लागू होंगे। प्रवेश शुल्क तथा सुरक्षित धन भी देना होगा।

सामान्य नियम

1. छात्रावास में प्रवेश लेने के बाद जैसे ही विद्यालय में कक्षाएँ आरम्भ होने की सूचना लगाई जाती है, वैसे ही सभी छात्राओं को कक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिन ही छात्रावास में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्रा छात्रावास में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रद्द कर दिया जायेगा।

2. **छात्राएँ छुट्टियों के पश्चात घर से लौटने पर अधीक्षिका को सूचित करें व देर से आने पर अभिभावक का अनुमति पत्र अवश्य लाएँ।**

3. छात्रावास में रहते हुए यदि किसी छात्रा की शादी पक्की हो जाती है तो तब छात्रावास में छात्रा इसी शर्त पर रह सकती है जबकि उसके अभिभावक लिखित रूप में यह आश्वासन दें कि उसके ससुराल से सम्बन्धित कोई व्यक्ति या मंगेतर उससे मिलने छात्रावास में नहीं आयेंगें।

4. शादी के बाद कोई छात्रा छात्रावास में नहीं रह सकेगी। यह नियम बी0एड0 की छात्राओं पर लागू नहीं होगा।

5. **12 महीने के सत्र पूरा होने पर भोजन शुल्क देय होगा।**

6. **छात्राओं को केवल रूग्णावस्था या विशेष परिस्थिति में कक्षा में न जाने का प्रार्थना–पत्र उसी दिन अधीक्षिका को देना होगा। सूचित किये बिना कक्षाओं से अनुपस्थित रहना कॉलिज का अनुशासन भंग करना समझा जायेगा और इस अनुशासनहीनता के लिए उन्हें निर्धारित दण्ड दिया जायेगा। प्रत्येक माह छात्रा अपनी उपस्थिति विभाग टीचर से हस्ताक्षर करा के छात्रावास में अधीक्षिका को देगीं।**

7. छात्राएँ अपने कमरों को बिल्कुल साफ व स्वच्छ रखेगीं।

8. छात्राएँ इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी विषय में उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिए।

9. **छात्राएँ छुट्टी लेने पर अपने घर जायेंगी व छुट्टी से वापिस आने पर सीधा छात्रावास में ही आयेगी। आते ही रिकोर्ड बुक भरकर ऑफिस में रखेंगी।**

नोट : छात्रावास में अगर किसी छात्रा के पास से कोई छात्रा छात्रावास छोड़कर जाती है या अलग हो जाती है तो छात्रा को अपनी रुममेट बनानी होगी या जिस कक्ष में जिस छात्रा के साथ रहने के लिए कहा जाएगा, तो उस कक्ष में छात्रा को जाना होगा। अन्यथा उस छात्रा को सिंगल रूम का शुल्क देना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

10. जो भी छात्रा ग्रीष्मकाल में छात्रावास का कूलर या अपना कूलर चलाएगी तो छात्रा को प्रतिमाह 200/–रुपये देना होगा, यदि कूलर खराब होता है छात्रा को स्वयं ठीक कराना होगा।

11. स्थानीय अभिभावक के यहाँ छात्रा केवल बीमारी की अवस्था में या विशेष परिस्थिति में माता–पिता की अनुमति होने पर जा सकती हैं। स्थानीय अभिभावक कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए।

12. छात्रा को छात्रावास में रहते हुए कोचिंग की अनुमति है। यह अनुमति सायं सात बजे तक है। एक से अधिक विषय की कोचिंग की अलग–अलग अनुमति लेनी होगी। कोचिंग के लिए अभिभावक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगें।

13. यदि कोई छात्रा रूग्णावस्था के कारण घर भेजी जाती है तो स्वस्थ होने पर वह डॉक्टर का स्वस्थता का प्रमाण–पत्र साथ लेकर आएँ तभी उसे दोबारा छात्रावास में रहने की अनुमति मिलेगी।

14. यदि कोई छात्रा छात्रावास में प्रवेश के लिए धनराशि जमा करा देती है, किसी कारणवश छात्रावास छोड़ देती है, तो उस अवस्था में सुरक्षित धन के अतिरिक्त कोई धनराशि वापिस नहीं होगी।

15. खेल, एन0 सी0 सी0, एन0 एस0 एस0 या अन्य किसी क्रिया में भाग लेने के लिए मेरठ से बाहर जाने की दशा में अभिभावक का पत्र अलग से जमा करना होगा तभी अनुमति मिलेगी।

16. पुरानी छात्राएँ कॉलिज में नवीनीकरण के बाद एक सप्ताह के अन्दर छात्रावास में भी प्रवेश ले लें। अन्यथा सुरक्षित स्थान रद्द कर दिया जायेगा।

17. **सत्र के अंत में छात्राओं से 1000/– रू0 की धनराशि** अगले सत्र के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए ली जाती है। यह धनराशि जनवरी माह में अवश्य ही जमा करा दें अन्यथा अगले सत्र में स्थान नहीं दिया जायेगा। यदि किसी कारणवश छात्रावास में प्रवेश ले लिया है और उसके बाद वह किसी कारणवश छात्रावास छोड़ती है, तब उसे कोई धनराशि वापिस नहीं की जाएगी क्योंकि यह धनराशि उसका स्थान सुरक्षित रखने के लिए थी।

18. छात्रावास में किसी विशेष परिस्थिति में छात्रा की महिला अभिभावक जैसे (माँ, भाभी, बहन) जिसकी फोटों लगी हो या पुरातन छात्रा के रूकने **पर** 300/– प्रतिदिन शुल्क देय होगा। शाम छः बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में उनका प्रवेश वर्जित है।

19. D.M. के आदेशानुसार अगर अवकाश घोषित होता है तो छात्रावास बन्द कर दिया जायेगा, छात्राओं को दशहरा, दिवाली, होली छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है।

20. छात्राएँ परीक्षा समाप्त होने पर छात्रावास कार्यालय से Clearance कराकर ही सामान ले जा सकेगी।

21. छात्रावास में छुट्टियों में घर जातें समय छात्रायें अपने कमरे की लाइट व पंखा खुला न छोड़े अन्यथा दण्ड शुल्क देय होगा। बगीचे में छात्रा फूल तोड़ती है तो दण्ड शुल्क देय होगा।

22. **छात्राएँ कॉलिज में यूनिफार्म व आई कार्ड के साथ जाएं तथा कॉलिज परिसर में मोबाइल न लेकर जायें।**

नोट : 1. सत्र **अन्तिम परीक्षा** समाप्ति के पश्चात किसी परीक्षा आदि के लिये छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

2. छात्रावास की प्रत्येक छात्रा की एक रिकार्ड बुक होती है जिसमें स्थानीय तथा स्टेशन से बाहर जाने का विवरण होता है। छात्रा छात्रावास से बाहर तभी जा सकेगी जब इस विवरण पुस्तिका में वार्डन महोदया की अनुमति ले लेगी तथा द्वार में रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देगी। छुट्टी से वापिस आने पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करके अपने कक्ष में जायेगी। किसी छात्रा के पास मोबाइल है तो उसके अनुचित प्रयोग पर अभिभावक की जिम्मेदारी होगी।

3. अन्य कॉलिज सैल्फ स्टडी व केवल कोचिंग वाली छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति है।

4. अपने कॉलिज की शोध छात्राओं व ट्यूटर के रहने की व्यवस्था है, किन्तु अन्य छात्राओं के समान ही शुल्क लिया जायेगा।

5. यदि छात्राऐं नियम के विरुद्ध छात्रावास में बिना किसी को सूचित किये छात्रावास से बाहर जाती है और बाहर कोई हादसा हो जाता है तो छात्रावास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रा या उसके अभिभावक की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

शुल्क-विवरण

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1.	कार्यालय पंजीकरण	50.00
2.	रजिस्ट्रेशन शुल्क	300.00
3.	सुरक्षित धन	500.00
4.	प्रवेश शुल्क	200.00
5.	कक्ष शुल्क	12000.00
6.	बिजली	9000.00
7.	जनरेटर	3600.00
8.	वाचनालय	125.00
9.	कम्प्यूटर	150.00
10.	चिकित्सा शुल्क	250.00
11.	छात्रावास परिचय–पत्र शुल्क	25.00
12.	भोजन शुल्क	30600.00
	योग	**56,800.00**
	कुकिंग गैस छात्रावास परिषद्	**3000.00**
	कुल योग	**59,800.00**

यह फीस एक मुश्त प्रवेश के समय ली जायेगी।

छात्रा को प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। भोजन शुल्क प्रवेश के समय से लागू होगा।

सुरक्षित शुल्क के अतिरिक्त और कोई शुल्क रिफडेंबल नहीं है।

छात्रा को कम से कम 12 माह का प्रत्येक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। 12 माह, 01 अगस्त से 31 जुलाई तक।

छात्रावास में सिंगल सीटेड रूम के लिए 12000/–प्रति सत्र अतिरिक्त कक्ष शुल्क देय होगा।

राष्ट्रीय तथा अर्न्तविश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली 2 छात्राओं को मैरिट के आधार पर केवल कक्ष शुल्क में 25% छूट है।

छात्राओं के प्रवेश के समय कुल देय धनराशि बैंक स्लिप के द्वारा जमा होगी।

नोटः– भोजन व्यय एवं अन्य शुल्क परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। फाई नल की छात्रायें सुरक्षित धन के रिफण्ड के लिए छात्रावास कार्यालय से फार्म प्राप्त कर उन्हें भरकर कार्यालय में जमा करा दें। छात्रावास छोड़ने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर सुरक्षित धन माँगने पर वापिस हो सकता है।।

Scanned with OKEN Scanner

[redacted]
8587036212

छात्रावास

रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलिज, मेरठ

छात्रावास में रहने के लिए छात्रायें अपने साथ निम्न सामान लायें–

- एक चादर व गद्दा बिस्तर, बाल्टी, मग, फ्राइपैन, कटोरी, गिलास, चम्मच, प्लेट, L.E.D. बल्ब, झाड़ू, बर्तन साफ करने का साबुन, अपने कक्ष के लिये छोटा कूडेदान, दो ताले, ओरिज़नल व फोटोस्टेट मार्कशीट, कॉलिज की बैंक स्लिप, अपनी फोटो की 12 प्रतियाँ तथा सफेद सलवार-कुर्ता-दुपट्टा, जैकिट यूनिफार्म आदि लेकर आयें तथा अपने साथ कीमती आभूषण न लायें।

- **जनवरी माह में 1,000/- रू० की धनराशि अगले सत्र में स्थान सुरक्षित करने के लिए अवश्य ही जमा करा दें**

- **अभिभावकगण छात्रावास में (दूरभाष : 8587036212, [redacted]) पर सम्पर्क कर सकते हैं।**

- **सम्पर्क समय : प्रातः 10 से दोपहर 3.00 बजे तक।**

नोट : 1. छात्रायें रिकार्ड बुक के लिये पुरुष व महिला अभिभावक की एवं अपनी फोटो अवश्य लायें।

2. प्रवेश के समय छात्रायें मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें (H.B.) हिमोग्लोबिन व ब्लड-ग्रुप लिखा हो अवश्य लायें।

छात्रावास की प्रतिष्ठा और स्तर छात्राओं के आचरण और व्यवहार पर निर्भर है। आपस में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा विद्यालय और छात्रवास के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

– चीफ वार्डन

Scanned with OKEN Scanner